

राजस्थान राज—पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 14, सोमवार, शाके 1937—मई 4, 2015 Vaisakha 14, Monday, Saka 1937—May 4, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम। विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 4, 2015

संख्या प. 2 (17) विधि / 2 / 2015:—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमित दिनांक 22 अप्रेलं, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 12)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
- (2) यह राज-पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होगा।
- 2. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक

का हो सकेगा, या दोनों से और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से," के स्थान पर, अभिव्यिक "जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से," प्रतिस्थापित की जायेगी।

दीपक माहेश्वरी, प्रमुख शासन सचिव।

·LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 4, 2015

No. F. 2 (17) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of the Rajasthan Sampatti Virupan Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 12):-

(Authorised English Translation) THE RAJASTHAN PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY (AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 12 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 22nd day of April, 2015]

An Act

to amend the Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act, 2006.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Prevention of Defacement of Property (Amendment) Act, 2015.
- (2) It shall come into force on and from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No 13 of 2006.- In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act, 2006 (Act No 13 of 2006), for the existing expression "one month or with fine which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to one thousand rupees or with both, and in case of each subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which shall not be less than two hundred rupees but which may extend to two thousand rupees or with both.", the expression "one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees or with both, and in case of each subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees or with both." shall be substituted.

दीपक माहेश्वरी, Principal Secretary to the Government.

3 Government Central Press, Jaipur.